Phone & Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 793 /12-1(1) दिनांक, देहरादून, 30 सितम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/126632/2021 ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड़ से मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-8बी/यू0सी0पी0/06/141/2021/एफ0सी0/1372 दिनांक 07.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गई बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, भू0 सं0 वन प्रभाग, कालसी के पत्रांक 582/12-1 दिनांक 15.09.2022 से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित है :-

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्तावित ग्राम आमवाला-मल्लावाला-साल के घने वन क्षेत्र तथा पूर्ण रूप से आरक्षित वन के मध्य स्थित है। संबंधित वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यह अतिक्रमण क्षेत्र तो नहीं है तथा इस हेतु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम आमवाला-मल्लावाला चक के रूप में इस वन प्रभाग की लांघा रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र द0 विन्हार-5 व 6 के मध्य विद्यमान है। उक्त क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।
2	ग्राम का अंतिम बिन्दु की तरफ से डिजिटल मैप के बिन्दु क्र0 22 से 28 तक जोड़ने पर भी connectivity दी जा सकती है। अतः इस मार्ग में 6 मीटर चौड़ाई का प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। अतः अंतिम बिन्दु की तरफ से केवल बिन्दु क्रमांक 22-28 तक 6 मीटर चौड़ाई में पुनरीक्षित प्रस्ताव किया जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पीपलसार को बिन्दु सं0-28 से जोड़ने पर ग्रामवासियों को अपने गांव/तौक तक पहुंचने में 12 किमी0 की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी मोटर मार्ग की विशिष्टियों के अनुसार मोटर मार्ग की चौड़ाई 06 मी0 + 0.90 मी0 अतिरिक्त बाईंडिग कुल 6.90 मी0 होती है। इसलिए 7.00 मी0 से कम चौड़ाई में मोटर मार्ग का निर्माण विशिष्टियों के अनुसार नहीं किया जा सकता है। अतः 06 मी0 चौड़ाई में प्रस्ताव को पुनरीक्षित करना नियमानुकूल नहीं होगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत संबंधित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।
3	ग्राम पष्टा से कम घनत्व के क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है जिस वैकल्पिक समरेखण का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। ग्राम पष्टा से वैकल्पिक संमरेखण का सम्पूर्ण विवरण तुल्नात्मक चार्ट में प्रेषित किया जाए।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण-पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
4	वर्तमान में ग्रामवासियों के आवागमन के मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करते हुए के0एम0एल0 फाईल पर अंकित किया जाए।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित के0एम0एल0 फाईल यथास्थान अपलोड कर दी गई है।
5	Details tilled at para B-1 is not relevant to this proposal and therefore required to be removed.	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 2924/26सी0, दिनांक 08.08.2022 द्वारा आपत्ति का निराकरण किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

क्र.सं.	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
6	Blank space plantation scheme of Rs. 650000/- other than CA uploaded online. State Govt. is requested to proposal the estimate for CA only as per the guideline.	प्रभाग द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि का आंकलन प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है तथा सी०ए० की संशोधित धनराशि का आंकलन ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
7	Road-side plantation scheme of Rs. 3286211/- oyher than CA uploaded online. State Govt is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	प्रभाग द्वारा सड़क किनारे वृक्षारोपण की धनराशि का आंकलन, प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
8	It is seen from the data given in para-14 of online part-II i.e. district profile that the CA stipulated (6678 ha) is not commensurate to the forest land diverted (21455 ha.) logically the CA stipulate should be approximately double the area of forest land diverted and the disparity if any is required to be clarified suitably.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने प्रभाग से संबंधित आंकड़े अपलोड किये गये हैं, जनपद में अन्य प्रभागों यथा– देहरादून, मसूरी, व चकराता के आंकड़े भी सम्मिलित होने के कारण District profile के आंकड़ों में भिन्नता प्रदर्शित हो रही है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर अनुरोध है कि कृपया प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक 793 /12-1(1) **तद्दिनांकित**

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, भू०सं० वन प्रभाग, कालसी को उनके उक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।